पत्रांक- 3ए-1-मुक०-85/2016- **5159** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:- **09/07/2018**

विषय:- सिविल रिट सं०-1022/1989 में दायर आई०ए० सं०-339/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक-14/07/2016 के आलोक में दिनांक-01/01/96 के बाद एवं दिनांक-01/01/2006 के पूर्व सेवानिवृत्त बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण संबंधी संकल्प संख्या-885, दिनांक-08/02/2017 में संशोधन के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल रिट सं०-1022/1989 में दायर आई०ए० सं०-339/2015 में दिनांक-14/07/2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा संकल्प संख्या-885, दिनांक-07/02/2017 निर्गत किया गया। इस संकल्प के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक-01/01/1996 के बाद एवं दिनांक- 01/01/2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को निर्धारित पेंशन (With commutation)/ पारिवारिक पेंशन के 03.07 गुणक या उनके पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन (Minimum 50%) में जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य किया जा सकता है। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।

2. उक्त संकल्प से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु स्थिति स्पष्ट नहीं होने का उल्लेख करते हुए संशोधन का अनुरोध महालेखाकार कार्यालय बिहार एवं प्रभावित सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

3. उक्त संकल्प से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश का अनुपालन अक्षरशः (Letter and Sprit) नहीं होने एवं महालेखाकार तथा प्रभावित पदाधिकारियों के अनुरोध की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त निर्णय सरकार के विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि** "राज्य न्यायिक सेवा के दिनांक- 01/01/1996 के बाद एवं दिनांक- 01/01/2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारी को प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक-01/01/2006 से 3.07 गुणक या उनकी सेवानिवृत्ति के समय पदीय वेतनमान में अंतिम आहरित वेतन प्रक्रम के समकक्ष पद का पुनरीक्षित वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन प्रक्रम के 50 प्रतिशत में से, जो अधिक हो, पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होगा। इस क्रम में मूल स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन को ही देखा जाएगा तथा यदि वरीय न्यायिक पदाधिकारी का पेंशन, कनीय की तुलना में कम्यूटेशन के कारण कम हो रहा है तो वह इससे आच्छादित नहीं होगा।"

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-885, दिनांक-07/02/2017 को इस हद तक संशोधित पढ़ा जाए। इसमें विधि विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-85/2016 -**5159/वि०** पटना, दिनांक-**09/07/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-85/2016 -**5159/वि०** पटना, दिनांक-**09/07/2018**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-1-मुक०-85/2016 -**5159/वि०** पटना, दिनांक-**09/07/2018**

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०)

विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।